पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 14, अंक 1/2013

'आधार' पहुंचाएगा आम आदमी तक सरकारी सेवाओं के लाभ

आम आदमी तक सरकारी सेवाओं के लाभ पारदर्शिता के साथ पहुंचाने में आधार की बड़ी भूमिका है। राज्य सरकार ने रोजगार के अधिकार सहित जनहित की 10 सेवाओं को 'आधार पहचान संख्या' से जोड़ने का निर्णय लिया है। प्रदेश में इसे चरणबद्ध रूप में लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 'कट्स' की स्थापना के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 'आधार के माध्यम से सशक्तिकरण, चयन और सुविधा में परिवर्तन की संभावना' विषय पर 24 जनवरी 2013 को आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए यह घोषणा की।

उन्होंने कहा कि आधार योजना के जरिए पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचेगा, जिससे भ्रष्टाचार, छीजत और बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी।

प्रदेश में उपभोक्ता आन्दोलन और उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में कट्स व सहयोगी संस्थाओं द्वारा किए गए योगदान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ता हितों के लिए पूरा सहयोग करने को प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर राज्य आयोजना बोर्ड के उपाध्यक्ष प्रो. वी.एस. व्यास, कट्स के अध्यक्ष मीठा लाल मेहता तथा महामंत्री प्रदीप एस.महता ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, विषय विशेषज्ञ व प्रबुद्धजन उपस्थित थे।

सुविधाओं का लाभ लेना है तो बनवाना होगा आधार कार्ड - नीलेकणी

इस अवसर पर मुख्यवक्ता के रूप में आमंत्रित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष नन्दन नीलेकणी ने कहा कि आधार कार्ड देश की नागरिकता का परिचय पत्र नहीं है, बल्कि यह किसी व्यक्ति विशेष की पहचान करने वाला 'नम्बर' है। अब आर्थिक लाभ व्यक्ति को उसके आधार नम्बर पर मिलेगा।

उन्होंने कहा कि कार्ड बनवाना व्यक्ति की इच्छा पर है। उसे यदि सुविधाओं का लाभ लेना है तो बनवाना ही पड़ेगा। क्योंकि, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम के तहत पैसा संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में नहीं बल्कि आधार कार्ड नम्बर पर डाला जाएगा, जिससे पैसा उसी व्यक्ति को मिल सके जिसे भेजा गया है।

नीलेकणी ने विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले समय में इस व्यवस्था से कई अच्छे व लाभकारी परिवर्तन सामने आएंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आधार कार्ड से पारदर्शिता को बल मिलेगा और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।

... मिलेंगी कई सुविधाएं

'आधार' 12 अंकों का एक विशिष्ट पहचान नंबर है। यह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा दिया जा रहा है। भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत गरीब परिवारों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं व सेवाओं को देश में कैश ट्रांसफर योजना से जोड़ने को उत्साहित है। फिलहाल परीक्षण के तौर पर इस योजना को देश के करीब 50 जिलों में 'आधार' से जोड़ कर लागू किया गया है, ताकि दी जा रही सेवाओं का लाभ वास्तविक हकदारों को ही मिले।

जैसे ही 'आधार' कार्ड बनाने का काम सम्पूर्ण होगा, योजना को पूरे देश में क्रियान्वित किया जा सकेगा तथा सरकार की ओर से खाद्यान्न, रसोई गैस, केरोसिन, डीजल, बिजली, पानी, यूरिया आदि पर जो सब्सिडी दी जा रही है उसे 'आधार' के माध्यम से सम्बन्धित परिवारों के बैंक खातों में कैश ट्रांसफर किया जा सकेगा। धीरे-धीरे सरकार कई तरह की सेवाएं प्रदान करने में भी 'आधार' कार्ड को अनिवार्य बनाती जा रही है। पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, रेलवे व हवाई यात्रा के टिकट बनवाने व बैंक खाता खुलवाने में आधार कार्ड का उपयोग होने लगेगा।

कई राज्यों के स्कूल कॉलेजों में एडमिशन व स्कॉलरशिप के लिए यह जरूरी दस्तावेज बन गया है। कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और अन्य कई सुविधाओं को भी 'आधार' से जोड़ा जा रहा है। केन्द्रीय भविष्य निधि संगठन ने एक मार्च 2013 के बाद बनने वाले सभी सदस्यों के लिए 'आधार' को अनिवार्य कर दिया है। आगे चलकर 'आधार' कार्ड आम जन को कई सहूलियतें देगा। लेकिन यह काम इतना सरल भी नहीं, जितना प्रतीत हो रहा है। बेघर, फुटपाथियों, घूमन्तु व आदिवासी जातियों को 'आधार' से जोड़ना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा।

इस अंक में...

- तेल विपणन कंपनियों के खर्चों पर लगे लगाम 3
- थानों से हर महीने वसूली का खेल 5
- यूजर चार्ज खत्म, वसूले पैसे नहीं लौटाएंगे! 7
- आज भी ग्रामीण लाते हैं दूर से पानी 9
- सड़क सुरक्षा के लिए बदलेगा कानून! 11

जनता की शक्ति से ही मिलता है सरकार को अधिकार! इसे कायम रखने के लिए आप हैं जिम्मेदार!!

उपभोक्ता जागरूकता के लिए व्यापक अभियान की आवश्यकता- डॉ. ललित मेहरा

जब तक व्यक्तिगत रूप से उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा, बनाए गए कानून और व्यवस्थाएं कोई मायना नहीं रखती। सवाल करने से जागरूकता आती है, इसलिए उपभोक्ता को जागरूक बनाने के लिए हमें प्रश्नकर्ता समाज के गठन के लिए व्यापक अभियान चलाना होगा। साथ ही उपभोक्ता अपने दायित्वों का भी जिम्मेदारी से पालन करे।

उक्त विचार डॉ. ललित मेहरा, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलात विभाग, राजस्थान सरकार ने कट्स द्वारा 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' के उपलक्ष्य में 18 मार्च, 2013 को जयपुर में आयोजित सेमीनार में मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने साथियों, आस-पड़ोस के लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी देकर उन्हें जागरूक बनाएं। इस बात पर भी गहन विचार करना होगा कि उपभोक्ताओं को न्याय समय पर मिले। यह एक गंभीर विचारणीय विषय है, क्योंकि देर से मिला न्याय, न्याय नहीं कहलाता।

कार्यशाला में मिस अन्ना रूथ, कार्यक्रम निदेशक, जीआईजेड, नई दिल्ली; अमृत लाल साहा, अध्यक्ष, कन्ज्यूमर को-ऑर्डिनेशन काउन्सिल; डॉ. पूनम पाण्डे, तकनीकी एक्सपर्ट, जीआईजेड नई दिल्ली; मिस एस. सरोजा, सीएसजी, चैन्नई; डॉ. केया घोष, कट्स कोलकाता सेन्टर; जॉर्ज चेरियन, निदेशक कट्स, जयपुर तथा वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र बोड़ा ने मुख्य वक्ता के रूप में भागीदारों को सम्बोधित किया।

इस अवसर पर श्री मेहरा ने ग्रेनिर्का परियोजना के तहत राज्य में जिला स्तरीय सहयोगी संस्थाओं को उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में राज्य के सभी जिलों की स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग और मंत्रालय के अधिकारी व मीडिया प्रतिनिधियों सहित 75 से अधिक प्रतिभागियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

मनरेगा श्रमिकों को नहीं है अपने अधिकारों की पूरी जानकारी

कट्स द्वारा संचालित सिटीजन्स अप परियोजना के अन्तर्गत 21 मार्च 2013 को जयपुर में 'अनुभव वितरण एवं पैरवी बैठक' का आयोजन किया गया। बैठक के आयोजन का खास उद्देश्य जयपुर और टोंक जिलों के छह ब्लॉकों में मनरेगा श्रमिकों के अधिकारों उनके विभिन्न हित लाभों, पारदर्शिता व जवाबदेहिता के प्रावधानों को लेकर कट्स द्वारा किए गए सर्वेक्षण में सामने आए तथ्यों पर चर्चा करना, जागरूकता बढ़ाना और उनकी पैरवी करना था।

बैठक में कट्स के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने बताया कि मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों को शिक्षा के अभाव में अपने अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। हालत यहां तक है कि केवल सात फीसदी श्रमिकों को ही पता है कि नियमानुसार वर्ष में 100 दिन काम नहीं मिलने पर उन्हें बेरोजगारी भत्ता देय होता है। सर्वेक्षण के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि पिछले चार साल में मनरेगा में 71 फीसदी लोगों को 100 दिन के रोजगार के बारे में पता है, जबकि केवल 57 फीसदी श्रमिकों को ही पूरी मजदूरी के प्रावधानों की जानकारी है।

उन्होंने बताया कि मनरेगा में काम मांगने वाले प्रपत्र-6 के बारे में केवल 17 फीसदी श्रमिक ही जानकारी रखते हैं। फलस्वरूप लगभग 62 फीसदी श्रमिक मौखिक रोजगार की मांग करते हैं तथा 85 प्रतिशत श्रमिकों को बिना प्रपत्र-6 भरे रोजगार दिया जाता है। सामाजिक अंकेक्षण के बारे में जानकारी देते हुए चेरियन ने बताया कि केवल चार फीसदी लोग ही इस बारे में जानकारी रखते हैं और 0.6 फीसदी श्रमिक ही इस प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभाते हैं। सर्वे परिणाम बताते हैं कि शेष 99.4 फीसदी ने कभी सामाजिक अंकेक्षण में भाग नहीं लिया।

बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त आयुक्त (मनरेगा) बद्री नारायण ने अपने विचार व्यक्त करते हुए सर्वेक्षण से उभरे तथ्यों की सच्चाई को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मनरेगा के सुचारू व प्रभावी क्रियान्वयन में सामाजिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग (सामाजिक अंकेक्षण) के परियोजना निदेशक डॉ. एन. के. पारीक ने कहा कि राजस्थान में आन्ध्र प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। परियोजना समन्वयक मधुसूदन शर्मा ने परियोजना के अन्तर्गत की गई गतिविधियों तथा सर्वे से प्राप्त आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किया।

बैठक में जयपुर व टोंक के सरपंचों, प्रधानों, ग्राम सचिवों, रोजगार सहायकों, मेटो, सामाजिक संगठनों तथा मीडिया के लगभग 100 से भी ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा अपने अनुभव व सुझाव सामने रखे।

तेल विपणन कंपनियों के खर्चों पर लगे लगाम

तेल विपणन कंपनियों के घाटे का हवाला देकर लोगों की जेब काटी जा रही है, लेकिन कंपनियों के शाही खर्चों पर लगाम नहीं लगाई जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की तीन प्रमुख तेल कंपनियों ने पिछले पांच वर्षों में अपने उत्पादों के विज्ञापन एवं प्रचार पर जहां 1142 करोड़ रुपए खर्च किए हैं वहीं पिछले करीब 10 वर्षों में अधिकारियों एवं पेट्रोलियम मंत्रियों की विदेश यात्राओं पर 42 करोड़ रुपए फूंके गए हैं।

आरटीआई के तहत हिसार स्थित आरटीआई कार्यकर्ता रमेश वर्मा द्वारा लगाई गई अर्जी से यह जानकारी सामने आई है। दूसरी ओर सरकार ने चालू वर्ष के लिए तेल विपणन कंपनियों को 8,000 करोड़ रुपए और देने का फैसला किया है। इस वित्त पोषण के पीछे सरकार का तर्क था कि कम कीमत पर डीजल, रसोई गैस और केरोसिन तेल की बिक्री से इन्हें राजस्व का काफी नुकसान उठाना पड़ा है। *(रा.प., 28.01.13)*

करोड़ों खर्च फिर भी नहीं मिटी गरीबी

राजस्थान में सरकार करीब 9000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी गरीबी नहीं मिटा पाई। सरकारी आंकड़े हालांकि प्रदेश में 5 साल में 10 फीसदी गरीबी कम होने का दावा करते हैं। परंतु ये आंकड़े योजना आयोग की उस परिभाषा पर आधारित हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 32 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 28 रुपए रोजाना खर्च करने की क्षमता रखने वालों को गरीब नहीं माना गया है। यह स्थिति तो केवल मनरेगा की है, जबकि प्रदेश में गरीबी उन्मूलन के लिए कई और भी योजनाएं चल रही हैं।

बजट अध्ययन केन्द्र राजस्थान के समन्वयक व बजट विश्लेषक नेसार अहमद का कहना है कि गरीबी दूर करने वाली मनरेगा योजना में भी पिछले तीन साल से रोजगार उपलब्ध कराने में लगातार कमी आ रही है। वर्ष 2010-11 में जहां 3026.65 लाख लोगों को रोजगार मिला था वहीं अब 2012-13 में 1541.2 लाख लोगों को ही रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

(दै.भा., 06.03.13)

फेल साबित हो रहे हैं सेवा केन्द्र

राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर जनता को पूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। यह स्थिति प्रदेश के 430 सेवा केन्द्रों के सर्वे में सामने आई है। राज्य सरकार ने खुद इन सेवा केन्द्रों का सर्वे कराया था। सर्वे में सामने आया कि इन केन्द्रों का लाभ ज्यादा लोग नहीं उठा पाए हैं, क्योंकि इन केन्द्रों पर पूरी सुविधाएं ही नहीं है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे गंभीरता से लिया है और मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि सभी 9177 सेवा केन्द्रों की स्थिति दिखवाएं। इन केन्द्रों पर बिजली, पानी, टेलीफोन के बिल जमा होंगे। मूल निवास, जाति प्रमाण, जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र बन सकते हैं। जमा बन्दी की नकल देने व रेलवे टिकट आरक्षण जैसी सुविधाओं का होना जरूरी है। *(रा.प., 03.02.13)*

वसूले 37 करोड़- खर्च का पता नहीं

ईको डवलपमेंट सरचार्ज के नाम पर वन विभाग पिछले दस वर्ष में जनता से 37 करोड़ से भी ज्यादा वसूल चुका है, लेकिन इसमें से केवल दस फीसदी राशि ही खर्च की है। यह पैसा पूरा खर्च किया जाता तो न सिर्फ वन क्षेत्रों बल्कि आस-पास के गांवों का भी विकास होता।

भीलवाड़ा निवासी बाबू लाल जाजू को सूचना के अधिकार के तहत विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश के नौ अभयारण्यों से वर्ष 2002 से 2012 तक सरचार्ज के रूप में 37 करोड़ रुपए मिले। वन विभाग ने वन क्षेत्रों व आस-पास के क्षेत्र को पर्यावरण के लिहाज से अनुकूल बनाए रखने के लिए ही ईको डवलपमेंट सरचार्ज वसूलना शुरू किया था। प्रावधान था कि वन क्षेत्र का स्थानीय अधिकारी वहां की जरूरत के हिसाब से इस पैसे को खर्च करे। अब लोगों से वसूली तो हो रही है लेकिन यह राशि संबंधित वन क्षेत्र के अधिकारियों तक नहीं पहुंच रही। *(रा.प., 01.02.13)*

स्कूलों में नहीं बने टॉयलेट!

प्रदेश में शिक्षा पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद स्कूलों में सभी को टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधा नहीं मिल सकी है। गौरतलब यह है कि हर साल शिक्षा का बजट बढ़ता है जो अब 14 हजार करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन सुविधाओं की कमी जस की तस है और तो और केन्द्रीय योजनाओं के तहत भी प्रदेश को तकरीबन 250 करोड़ रुपए का सालाना अनुदान मिलता है।

राज्य में सरकारी स्कूलों की दुर्दशा का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के 2117 स्कूल बिना भवनों के चल रहे हैं। मानवाधिकार आयोग ने भी मुद्दे पर प्रसंज्ञान लेते हुए स्कूलों में टॉयलेट जैसी सुविधाएं नहीं होने को शर्मनाक बताया है।

(दै.भा., 27.02.13 एवं 28.02.13)

प्रशिक्षण के नाम पर हुआ घोटाला

अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के छात्रों को ट्रेनिंग व रोजगार मुहैया कराने का जिम्मा लेकर एक निजी कंपनी ने फर्जीवाड़ा कर सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगा दी। मामला पकड़ में आने पर राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम ने इस घोटाले की रिपोर्ट सरकार को भिजवाई है। निगम ने इसमें सालाना 10 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का अंदेशा जताते हुए एसीबी जांच करवाने की सिफारिश की है।

निगम की स्किल डवलपमेंट योजना एससी-एसटी छात्रों को प्रशिक्षण और रोजगार देती है। इसके तहत 2010-11 में प्रदेश के 15 जिलों के छह हजार छात्रों को बेंगलुरू की निजी कंपनी टेली सोल्यूसंस प्राइवेट लि. को प्रशिक्षण देना था। कंपनी को 2011-12 के लिए फिर 9 हजार छात्रों के प्रशिक्षण का काम मिला, लेकिन उसने खुद काम करने के बजाय अनुभवहीन फर्मों और संस्थाओं को जिम्मा सोंप दिया।

(रा.प., 25.01.13, 28.01.13)

रमसा में मिली राशि का नहीं हुआ उपयोग

राज्य सरकार ने पिछले चार साल में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) के तहत मिली करीब 300 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग कर लिया होता तो संभवतः प्रदेश में एक भी स्कूल बिना कक्षों और अन्य सुविधाओं से वंचित नहीं रहता। लेकिन इसमें से मात्र 35 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए।

केन्द्र सरकार की रमसा योजना में विश्व बैंक, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डवलपमेंट व यूरोपीय यूनियन भागीदार हैं। चार साल पहले 2009-10 में प्रस्ताव मांगे जाने पर राजस्थान सरकार ने तत्परता दिखाई, लेकिन जब प्रस्ताव मंजूरी के बाद पैसा जारी किया जाने लगा तो इसका इस्तेमाल करने में राज्य सरकार पूरी तरह विफल रही। *(रा.प., 04.03.13)*

सरकार को लगी करोड़ों की चपत

प्रदेश के सरकारी निगम और कंपनियां सही तरह से काम नहीं कर रही। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) की वर्ष 2012 की रिपोर्ट में इन निगमों व कंपनियों में 37 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की वित्तीय अनियमितताएं सामने आई है।

राज्य विधान सभा में रखी गई रिपोर्ट के अनुसार 37 करोड़ रुपए की अनियमितताओं में से अकेले जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. कंपनी ने सरकार को 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान दिया है। समय पर विद्युत कनेक्शन नहीं काटे जाने से 24.02 करोड़ रुपए की वसूली नहीं हो पाई तथा हुड़को के कर्ज के भुगतान में 1.47 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम ने भी नुकसान पहुंचाया है। *(रा.प., 23.03.13)*

वन विभाग ने कटवाए तीन लाख पेड़

वन विभाग ने पिछले 6 साल में 3 लाख पेड़ काटने की अनुमति देकर करीब 600 करोड़ रुपए कमा लिए, लेकिन नए पेड़ लगाने के लिए कोई खास रुचि नहीं दिखाई। विभाग को इसके बदले पांच गुना यानी 15 लाख पौधे लगाने थे, लेकिन इन 6 वर्षों में नए पेड़ लगाने पर 35 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं। बाकी बची राशि पर वह ब्याज बटोर रहा है।

वन विशेषज्ञों का कहना है कि विभाग की ओर से काटे गए पेड़ों की एवज में लगाए गए पौधों में से भी महज 20 प्रतिशत ही पनप पाए हैं। वन विभाग ने अलग-अलग जगह हाई वे के निर्माण या उन्हें चौड़ा करने के लिए इन पेड़ों को काटने की मंजूरी दी थी। इसके बदले विभिन्न कंपनियों व संस्थाओं ने विभाग को 600 करोड़ रुपए दिए। इसके अलावा विभाग ने इन कटे पेड़ों की करीब 300 करोड़ रुपए की लकड़ी भी नीलाम की है। *(दै.भा., 17.02.13)*

चौथे पायदान पर लुढ़का प्रदेश

मनरेगा के क्रियान्वयन में प्रदेश फेल साबित हो रहा है। चार साल पहले मनरेगा के तहत देशभर में सर्वाधिक रोजगार देने वाला राजस्थान अब चौथे स्थान पर आ गया है। जबकि यह योजना कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी फ्लेगशिप योजना बताई जाती रही है।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में रोजगार के लिए जॉब कार्ड बनवाने वालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन रोजगार पाने वालों की संख्या घटती जा रही है। सर्वश्रेष्ठ काम तमिलनाडु में हो रहा है। मनरेगा में रोजगार कम होने के साथ ही राज्य की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो रही है। चार साल पहले राज्य में प्रत्येक जिले में 171 करोड़ रुपए की औसत मजदूरी वितरित हुई थी, वहीं इस साल महज 71 करोड़ रुपए ही औसत मजदूरी वितरित हुई है। *(रा.प., 07.02.13)*

किसानों की कर्ज माफी में घोटाला

2जी, राष्ट्रमंडल खेल, अनाज और कोयला घोटालों के उजागर होने के बाद अब किसानों की कर्ज माफी योजना में 52,500 करोड़ रुपए का एक और घोटाला सामने आ रहा है। इस मामले में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट ने यूपीए सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में हुई कई गड़बड़ियों का खुलासा किया है।

संसद में पेश की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक किसान कर्ज माफी में दिए 52,516 करोड़ रुपए में भारी अनियमितता है। कर्ज माफी के सही हकदारों का पैसा उन्हें बांट दिया गया, जिन्हें यह लाभ नहीं मिलना चाहिए था। ऐसा करने में कई नियमों का उल्लंघन किया गया। नौ राज्यों में लेखा परीक्षा जांच में 9334 खाते खंगाले गए, जिनमें 1257 खाते वे थे जो योजना के तहत लाभ के पात्र थे। लेकिन उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया गया। 80,299 खाते जिन्हें ऋण माफी की राहत दी, उनमें से 8.5 फीसदी राहत के हकदार नहीं थे। *(रा.प. एवं दै.भा., 06.03.13)*

लापरवाही ने किए करोड़ों रुपए बेकार

मनरेगा में प्रदेश के गांवों को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण में बरती लापरवाही ने करोड़ों रुपए बेकार कर दिए हैं। अब विश्व बैंक से मिलने वाले उधार के पैसे से नए सिरे से इन सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। मनरेगा के तहत ग्रेवल तक सड़क का निर्माण किया गया है। इस पर वर्ष 2008-09 से अब तक करीब 182 करोड़ रुपए खर्च कर 4038 किलोमीटर लम्बाई में सड़कें बनाई जा चुकी हैं।

मनरेगा के तहत सड़कों के लिए बिछाई मिट्टी की कुटाई निर्धारित मानकों के तहत किए बिना ही उन पर ग्रेवल डाल दी गई, इससे वाहनों के दबाव से जल्द ही सड़क धंस जाती है। धंसी सड़क पर पानी गिरने से वह पूरी तरह टूट जाती है। इसकी मरम्मत पर खर्च निर्माण से भी ज्यादा भारी पड़ता है। अब इन सड़कों को वापस उधेड़कर कर दोबारा ग्रेवल डालनी होगी। *(रा.प., 10.03.13)*

विकास हुआ: फिर भी फिसड्डी

प्रदेश में हर साल फैक्ट्रियां लग रही है, इससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी देश में हम फिसड्डी हैं। इस मामले में दूसरे प्रदेश हमसे कहीं आगे हैं। नेशनल सैम्पल सर्वे की ओर से 2010-11 के उद्योग सर्वे में इसका खुलासा हुआ है।

2009-10 के मुकाबले राज्य में फैक्ट्रियां और रोजगार के मौके बढ़े हैं, लेकिन फिर भी इस मामले में हम टॉप-5 में भी नहीं हैं। फैक्ट्रियों की संख्या में देश में हमारा 8वां स्थान है वहीं रोजगार देने के मामले में पिछले तीन साल में राजस्थान 10वें पायदान पर है। *(रा.प., 15.01.13)*

विकास के नाम पर बन्दरबांट !

प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं में जमकर गबन व बन्दरबांट हो रही है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग खुद मानता है कि हर साल गबन और सरकारी धन की बन्दरबांट के ढाई हजार नये मामले सामने आते हैं। इस वक्त ऐसे 52 हजार मामलों की जांच अधर में होने से करीब छह करोड़ रुपए अटके हैं।

विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक विभाग इन दिनों ग्रामीण विकास की परियोजनाओं में गबन के 328 मामलों की जांच कर रहा है। पिछले वर्षों में अलग-अलग मामलों में आठ करोड़ 35 लाख रुपए के गबन और दूसरी अनियमितताएं हुई, लेकिन इनमें से पांच करोड़ 92 लाख रुपए की वसूली अब तक नहीं हो सकी है। कई मामलों में अधिकारियों ने नियम ताक पर रख कर खरीददारी की और उनका भुगतान भी कर दिया। अब इनके न तो बिल मिल रहे हैं और न ही आदेश। *(रा.प., 30.01.13)*

भारत में मजबूत हो रहा है लोकतंत्र-कैग

देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) विनोद राय ने कहा है कि सरकार को कारोबार का समर्थन करना चाहिए, किसी खास कारोबारी का नहीं। आखिर में अन्तिम मालिक जनता ही है। इस पर केन्द्रीय मंत्री मनीष तिवाड़ी भड़क गए और कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना चाहिए।

दरअसल विनोद राय ने हावर्ड केनेडी स्कूल में एक लैक्चर में यह बात कही थी। प्रतिक्रिया पर उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। लेकिन बतौर पब्लिक ऑडिटर सरकारी अधिकारियों व कारोबारियों के बीच की सांठ-गांठ को सामने लाने की कोशिश जारी रहेगी। कैग की भूमिका सिर्फ संसद में रिपोर्ट देने तक नहीं रहनी चाहिए, उसे जनता को भी जागरूक करना होगा। भारत में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है और हम नई राह पर यही सोच कर चल रहे हैं। *(दै.भा., 09.02.13)*

भ्रष्टाचार के मामलों के लिए विशेष बेंच

सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं और लोक सेवकों से जुड़े भ्रष्टाचार के मुकदमों के लिए देश में पर्याप्त संख्या में सीबीआई की विशेष अदालतें स्थापित नहीं होने पर नाराजगी जताई है। साथ ही कोर्ट ने सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ दो महीने में देश में 22 विशेष अदालतें स्थापित करने का निर्देश केन्द्र सरकार को दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हम 2011 से ही इस बारे में आदेश दे रहे हैं, लेकिन हर बार सरकार की ओर से कुछ न कुछ कारण और स्पष्टीकरण दिये जाते रहे हैं, जिनसे हम सन्तुष्ट नहीं हैं।

दूसरी ओर राजस्थान हाईकोर्ट में एक बेंच केवल भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई करेगी। इस बेंच में रोजाना भ्रष्टाचार से सम्बन्धित मामले ही लगेंगे। इस बेंच में जस्टिस एन.के.जैन द्वितीय सुनवाई करेंगे। मुख्य न्यायाधीश अमिताभ रॉय के निर्देशानुसार यह बेंच बनाई गई है।

(रा.प., 31.01.13, 16.02.13)

भ्रष्टाचार से उकता गए हैं लोग

कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि देश के लोग भ्रष्टाचार से उकता गए हैं। हमें इस स्थिति को समझना चाहिए और देश में शासन व्यवस्था भ्रष्टाचार रहित कैसे हो, इस पर पहल करनी चाहिए। जयपुर स्थित बिड़ला ऑडोटोरियम में आयोजित कांग्रेस के चिंतन शिविर में यह विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आज इन्नोवेटिव तकनीक का युग है, इस दौर में हर व्यक्ति के पास सूचना और सन्देश है और ऐसे में नेताओं की जवाबदेही बहुत तेजी से बढ़ी है।

लोगों को मिला सूचना का अधिकार एक ऐसा हथियार है जिसने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का काम किया है। नेताओं को यह समझना चाहिए। आज युवा भारत और कांग्रेस नेतृत्व के बीच संवादहीनता की स्थिति है, वह नहीं होनी चाहिए। उन्हें यह समझना होगा कि आज का युवा वर्ग क्या चाहता है। *(न.नु., 19.01.13)*

शुरू हुई भ्रष्ट अफसरों में बेचैनी

राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम 2012 के नोटिफिकेशन के बाद से ही भ्रष्ट अफसरों में बैचेनी का माहौल व्याप्त है। भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में चल रहे पुराने मुकदमें भी अब इस अधिनियम के दायरे में आ सकेंगे। कौन-कौन से और कब तक के मुकदमें इस नए अधिनियम में आएंगे, इस बारे में राय मशविरा चल रहा है।

भ्रष्ट लोक सेवकों की संपत्ति जब्त करने के लिए ऐसे मामलों की छंटनी का काम भी शुरू कर दिया गया है। सम्पत्ति कुर्क करने संबंधी कानून के नियमों को भी राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि हाईकोर्ट स्तर पर विशेष न्यायालय खोलने की औपचारिकता पूरी होने के बाद, सरकार विशेष कोर्ट खोलने और उनके लिए जरूरी संसाधन और स्टाफ लगाने पर तुरंत फैसला कर देगी। *(दै.भा. 12.01.13)*

नहीं मिलती मुकदमा चलाने की अनुमति

भ्रष्टाचार के चालीस फीसदी मामलों में राज्य कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया जाता है। इससे सवाल उठने लगे हैं कि इन मामलों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई सही है या मुकदमें की अनुमति नहीं देने वाले सरकारी महकमों के मुखियाओं की।

पिछले पांच महीने में विभिन्न सरकारी महकमों के मुखिया अफसरों ने भ्रष्टाचार के 163 मामलों में अभियोजन स्वीकृति पर निर्णय किया, उनमें से 66 में मंजूरी से मना किया गया। यह जानकारी राज्य सरकार की ओर से अपने अधिवक्ता के जरिए हाईकोर्ट में दी गई। स्वायत्त शासन विभाग तो ऐसा विभाग है जिसने पिछले पांच माह में भ्रष्टाचार के 18 में से केवल दो में ही अभियोजन स्वीकृति दी है। *(रा.प., 03.02.13)*

थानों से हर महीने वसूली का खेल

थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार का 2 जनवरी 2013 को चक्रव्यूह टूटा। एक दलाल थाना प्रभारियों से मासिक बंधी ले रहा था और इस सारी गतिविधि को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अफसर छिप कर देख रहे थे।

एसपी लोकेश सोनवाल और दलाल रामदेव ठठेरा के फोन पर थाना प्रभारी हाजिर होते और लिफाफा थमा कर चले जाते। थानों की बंधी की इस कहानी के ऐसे कई किरदार हैं। पटकथा किसी ने लिखी और परदे के पीछे बंधी का यह खेल कोई और निर्देशित कर रहा था। पूरा सच क्या है?

भास्कर संवाददाता बाबूलाल शर्मा, राजेन्द्र गौतम ने इस पर अपनी विशेष रिपोर्ट दी तो सच सामने आया।

(दै.भा., 25.03.13)

सम्पत्ति जब्ती पर छह माह में फैसला

किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा काली कमाई से जुटाई सम्पत्ति की जब्ती पर 6 माह में फैसला हो जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए जयपुर और जोधपुर में विशेष कोर्ट खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सम्पत्ति जब्ती के लिए बने विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।

सरकार ने कानून को अमल में लाने के लिए नियम भी जारी कर दिए हैं। विशेष कोर्ट में हर स्तर पर कामकाज की समय-सीमा तय की गई है। कोर्ट में कौनसे मामले जाएंगे, इसका निर्णय सरकार करेगी। जब्त सम्पत्ति स्कूल-अस्पताल जैसे सार्वजनिक काम में इस्तेमाल होगी।

(रा.प., 06.02.13)

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
नागौर	सुशील कुमार जैन	विकास अधिकारी (मनरेगा)	10,000	*रा.प., 02.01.13*
कोटा	नवनीत गोयल	इंस्पेक्टर, सेन्ट्रल एक्साइज विभाग, कोटा	40,000	*दै.भा., 03.01.13*
दौसा	डॉ.मुकेश मीणा	डॉक्टर, राजकीय अस्पताल, सिकंदरा	6,000	*दै.भा., 03.01.13*
बूंदी	डॉ. दिनेश नागर	मेडिकल ज्यूरिष्ट, जिला अस्पताल, बूंदी	5,000	*रा.प.एवं दै.भा., 09.01.13*
उदयपुर	मदनमोहन पालीवाल	वरिष्ठ लिपिक , जिला शिक्षा अधिकारी प्रा. कार्यालय	4,000	*दै.भा., 09.01.13*
जयपुर	जंग बहादुर सिंह	थानाधिकारी के रीडर, करणी विहार थाना, जयपुर	10,000	*रा.प.एवं दै.भा., 11.01.13*
अजमेर	राजेन्द्र जयसिंघानी	डिपो प्रबन्धक, आबकारी विभाग, अजमेर	10,000	*रा.प., 11.01.13*
उदयपुर	गणपत चौधरी राजेन्द्र सिंह	सरकारी वकील सहयोगी, होटल संचालक, सैक्टर-9 उदयपुर	18,000	*दै.भा., 12.01.13*
दौसा	भारती मीणा	हलका पटवारी, चांदराना गांव, दौसा	1,000	*दै.भा.एवं रा.प., 17.01.13*
बीकानेर	महावीर प्रसाद सोनी	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बीकानेर	5,000	*रा.प., 23.01.13*
अलवर	फूल सिंह	हलका पटवारी, फुल्लावास गांव, अलवर	5,000	*रा.प., 23.01.13*
भीलवाड़ा	राजकुमार असावा	दोस्त व मंगरोप सरपंच के पति अनिल खटीक के लिए राशि ली अनिल फरार है।	80,000	*रा.प. एवं दै.भा., 05.02.13*
जयपुर	सुरेन्द्र कुमार शर्मा	हैड कॉस्टेबल, दिल्ली पुलिस	10,000	*रा.प., 10.02.13*
हनुमानगढ़	जगदीश प्रसाद	हैड कॉस्टेबल,तलवाड़ा थाना, हनुमानगढ़	4,000	*दै.भा., 17.02.13*
चित्तौड़गढ़	नीता जोशी	सहायक सामुदायिक अधिकारी, चित्तौड़गढ़	2,000	*रा.प., 21.02.13*
भरतपुर	श्याम सिंह	कनिष्ठ लिपिक, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय	6,000	*दै.भा., 22.02.13*
जयपुर	धन्ना लाल वर्मा रमेशचन्द पंजाबी	एईएन, पीडब्लूडी चौमू कार्यालय, फुलेरा खण्ड, जयपुर एईएन, पीडब्लूडी फुलेरा खण्ड में कार्यरत, जयपुर	50,000	*रा.प. एवं दै.भा., 23.02.13, 24.02.13*
बीकानेर	गोवर्धनराम मेघवाल	पटवारी, धरनोक हलका, नोखा, बीकानेर	4,000	*दै.भा., 26.02.13*
अलवर	डॉ. जे.सी.यादव	प्रभारी अधिकारी, गहनकर आयुर्वेद औषधालय, तिजारा	10,000	*दै.भा., 27.02.13*
चित्तौड़गढ़	लक्ष्मीलाल कुमावत	सहायक उपनिरीक्षक, पारसोली थाना, चित्तौड़गढ़	40,000	*दै.भा. एवं रा.प., 06.03.13*
जयपुर	राजकुमार मोदी	जुनियर एकाउंटेंट, रजिस्ट्रार आफिस, सहकारिता विभाग	20,000	*दै.भा., 11.03.13*
जयपुर	श्रमिता मुदगल छोटूराम	सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर विभाग वरिष्ठ लिपिक, वाणिज्य का विभाग	4,000 2,000	*रा.प., 14.03.13*
जयपुर	पंकज जैन	पीए, एडिशनल एक्साइज कमिश्नर कार्यालय	5,000	*दै.भा.एवं रा.प., 15.03.13*
जयपुर	नरेश मंगल ओम प्रकाश यादव	कनिष्ठ लिपिक, जयपुर डिस्काम बिचौलिया, ओम इलेक्ट्रिकल्स का मालिक	20,000	*दै.भा., 16.03.13*
चित्तौड़गढ़	कचरा राम मेघवाल	पटवारी, बडोली माधोसिंह, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़	2,500	*दै.भा., 19.03.13*
जोधपुर	केवल राम	पटवारी, सतलाना लूणी तहसील जोधपुर	2,000	*दै.भा., 19.03.13*
प्रतापगढ़	धनराज मीणा	पटवारी, धरियावद क्षेत्र के मांडवी पटवार सर्कल	5,000	*रा.प., 24.03.13*
जयपुर	शंभू दयाल बेनीवाल	कनिष्ठ लिपिक, जयपुर नगर निगम, हवा महल जोन	10,000	*रा.प. एवं दै.भा., 26.03.13*

जन स्वास्थ्य के पलड़े पर खास नजर

प्रदेश के बजट में सेहत को खास तवज्जो दी गई है। 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने, मुफ्त दवा योजना के तहत मिल रही 400 दवाओं की संख्या को बढ़ाकर 600 करने और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच योजना को तीन चरणों में लागू किए जाने की घोषणा की गई है। यह योजना 7 अप्रेल 2013 से शुरू की जाएगी।

पहले चरण में राज्य के 86 अस्पतालों में, जुलाई 2013 से 428 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी 1649 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर इस योजना को लागू किया जाएगा।

जिन परिवारों की सालाना आय एक लाख रुपए तक है और परिवार में कोई व्यक्ति ह्रदय,कैंसर या किडनी की बीमारी से ग्रसित है, तो उसे इलाज की सुविधा व एक लाख रुपए तक की सहायता मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी जाएगी।

(दै.भा. एवं रा.प., 07.03.13)

आमजन को मंहगाई से राहत

बजट घोषणा के अनुसार बीपीएल परिवारों को अब दो रुपए किलो के बजाय एक रुपए किलो गेहूं व 10 रुपए किलो चीनी मिलेगी। महिलाओं को दो-दो साड़ियां और पुरुषों को एक-एक कम्बल मुफ्त दिया जाएगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन की दुकानों पर वर्तमान में आमजन को 8.10 रुपए प्रति किलो मिलने वाला 10 किलो आटा अब 5 रुपए प्रति किलो की दर से मिलेगा। इन दुकानों पर तेल, चाय, बिस्किट, मसाले, साबुन आदि भी रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई है। बाजार में मिलने वाले साबुत मसालों को भी वैट मुक्त किया गया है।

केन्द्र सरकार की घोषणा के अनुसार अब हर परिवार को एक साल में सब्सिडी वाले 9 रसोई गैस सिलेंडर मिलेंगे। इसे मंहगाई में राहत बताया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार का खाद्य सुरक्षा बिल अभी एक सपना ही है जिस पर अभी फैसला होना बाकी है। *(दै.भा. एवं रा.प., 07.03.13)*

बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा का न्योता

बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी खर्चे पर तीर्थ यात्रा का न्योता दिया है। उन्हें रेलों के माध्यम से देश के तीर्थ स्थानों की मुफ्त यात्रा कराने के मकसद से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना शुरू की गई है। नए साल में प्रदेश के 25 हजार लोगों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह प्रदेश से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को अब एक लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इससे पहले यह राशि बीस हजार रुपए थी।

बजट में राजस्थान वृद्धाश्रम योजना लागू करने की घोषणा भी की गई है। प्रदेश में मिल रही वृद्धावस्था, विधवा व विशेष योग्यजन पेंशन जरूरतमंदों को अब आजीवन मिलेगी।

(दै.भा. एवं रा.प., 07.03.13)

प्रदेश के हित में मिल गई रिफाइनरी

राजस्थान के बाड़मेर जिले में 9 मिलियन टन सालाना की क्षमता वाली रिफाइनरी लगाई जाएगी। इस पर 37 हजार 330 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह रिफाइनरी देश की सबसे आधुनिक होगी, क्योंकि यह वैक्स आयल तकनीक पर आधारित होगी। इसलिए रोजगार और रिफाइनरी से जुड़े उद्योग राजस्थान में आएंगे।

राज्य सरकार को रॉयल्टी के अलावा दो हजार करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष अतिरिक्त आय होगी। इससे राजस्थान की राजस्व आय में बढ़ोतरी होगी। सही मायनों में न केवल प्रदेश का द्रुतगति से विकास होगा बल्कि यह देश के विकास में भी मुख्य भूमिका निभाएगा। प्रदेश के मरुस्थल में और भी कई स्थानों पर तेल और गैस के भंडार हैं, जिनकी खोज के लिए आगे बढ़ना होगा।

(दै.भा. एवं रा.प., 06.03.13)

प्रदेश की वार्षिक योजना मंजूर

केन्द्रीय योजना आयोग ने प्रदेश की 2013-14 की वार्षिक योजना का आकार 40,500 करोड़ रुपए तय करते हुए इसे मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार की ओर से 40,139 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना पेश की गई थी। नई दिल्ली स्थित योजना भवन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया के बीच हुए विचार विमर्श के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया।

मंजूर की गई योजना चालू वित्त वर्ष 2012-13 के लिए 33,500 करोड़ रुपए से 7000 करोड़ रुपए यानि 20 फीसदी अधिक है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष आहलूवालिया और सदस्यों ने कहा कि राजस्थान अब बीमारू राज्य नहीं रहा, वह तेजी से विकास की ओर अग्रसर होकर देश का अग्रणी प्रदेश बन रहा है।

(दै.भा., 21.03.13)

बिना बहस के 46 विधेयक पारित

राज्य की विधानसभा में पिछले चार साल में 46 विधेयक हंगामें के बीच बिना बहस के ही पारित हो गए। कानूनविदों का मानना है कि हंगामें और शोरशराबे में विधेयक पारित करवाना गलत है। कोई भी विधेयक तब तक पारित नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि उसके एक-एक प्रावधान पर विचार न हो।

विधायकों का भी मानना है कि सदन की बैठकें कम हो रही है। सरकार विधेयकों को अंतिम समय में लाती है और शोरशराबे के बीच पारित कराती है। इससे विधेयकों में कई खामियां रह जाती है , जिससे वे लागू नहीं हो पाते और बाद में उनमें संशोधन करना पड़ता है। उनका कहना है कि चाहे सदन की बैठकें बढ़ानी पड़े, बहस के बाद ही विधेयक पारित होने चाहिए।

(दै.भा., 25.02.13)

यूजर चार्ज खत्म, वसूले पैसे नहीं लौटाएंगे!

सफाई व्यवस्था के नाम पर जयपुर और जोधपुर में लगाए गए यूजर चार्जेज को सरकार ने हटाने का फैसला किया है। आगामी महीनों के बिजली बिलों में यह चार्ज जुड़कर नहीं आएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह घोषणा करते हुए कहा कि हालांकि जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूअल मिशन में अरबन रिफॉर्म्स के तहत शहरों में सफाई के लिए यूजर चार्ज लगाना अनिवार्य शर्त थी। इसी वजह से जयपुर और जोधपुर में यह चार्ज लगाया गया था। लेकिन लोगों की भावनाओं को देखते हुए अब इसे समाप्त किया गया है।

यूजर चार्ज सितम्बर, 2012 से लागू हुआ था। पिछले 6 माह में जयपुर में उपभोक्ताओं से 14 करोड़ और जोधपुर में 13 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। लेकिन वसूले गए 27 करोड़ रुपए सरकार वापस नहीं लौटाएगी।

(दै.भा., 13.03.13)

प्रदेश में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना

राजस्थान के फलौदी में इस साल की शुरुआत में 15 मेगावाट क्षमता की परियोजना शुरू की गई थी। शेष 35 मेगावाट क्षमता की परियोजना पर अप्रेल के मध्य में काम शुरू हो जाएगा। इस परियोजना से राजस्थान भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में सौर ऊर्जा के जरिए 50 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाला अब तक का पहला राज्य बन गया है।

वेल्स्पन एनर्जी लि. के को-फाउंडर और एमडी विनीत मित्तल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना से राज्य में कुल 90 मिलियन किलोवाट प्रतिघंटे की दर से बिजली उत्पादन होगा। इससे ढाई लाख घरों को क्लीन एनर्जी की सप्लाई हो सकेगी। इससे सालाना करीब 83,220 मिलियन टन कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। अभी तक इस परियोजना पर 470 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। भविष्य में सोलर व विंड पावर से हाईब्रिड प्रोजेक्ट्स की भी राज्य में शुरुआत की जाएगी।

(दै.भा., 13.03.13)

डिस्कॉम बचत लेम्प योजना के पहले चरण में सवा छह लाख उपभोक्ताओं के घर में लगे 10 लाख साधारण बल्बों को बदल कर सीएलएफ बल्ब देना था। अनुमान था इससे पीक समय में 60 मेगावाट बिजली बचेगी।

इसी तरह कृषि कनेक्शन के जरिए सिंचाई के लिए खेतों में चलने वाले साधारण पम्पों को बदल कर स्टाररेटिंग पम्प लगाने की योजना बनी। इसके लिए चौमू पायलट प्रोजेक्ट चला कर 1800 पम्प बदले गए। डिस्कॉम ने सभी सरकारी भवनों की छत पर सोलरपॉवर प्लांट लगाने की योजना बनाई। डिस्कॉम ने अपने भवन की छत पर यह प्लांट लगाया जिससे बिजली की बचत भी हुई लेकिन ये सभी योजनाएं कागजों में दब कर रह गई। *(रा.प., 04.01.13)*

सुधरेगी बिजली कंपनियों की हालत

राजस्थान सहित पांच राज्यों की बिजली कंपनियों की वित्तीय हालत सुधारने के पैकेज को केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश की बिजली कंपनियों पर मार्च, 2012 तक 39712 करोड़ रुपए का कर्ज था। इसे लेकर राज्य सरकार ने पिछले दिनों केन्द्र की वित्तीय सुधार योजना पर सहमति भेजी थी।

सूत्रों के अनुसार बैकों के कुल कर्ज में से आधी राशि 19 हजार 855 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। बाकी रकम को बैंक तीन साल के लिए पुन: निर्धारित करेगी। इस दौरान कंपनियों को ब्याज देना होगा। बैंकों से बात तय होने के बाद बिजली कंपनियां राज्य सरकार की गारंटी पर बांड जारी करेगी।

राज्य सरकार को यह राशि पांच साल में बांड के रूप में वहन करनी है। कर्ज देने वाले बैंक राज्य सरकार की ओर से जारी बांड स्वीकार करेंगे। साथ ही बिजली कंपनियों को अल्पावधि ऋण देंगे। *(रा.प., 24.02.13)*

छीजत रोकने की योजनाएं खोखली

पिछले 12 सालों में बिजली कंपनियों ने छीजत रोकने की योजनाओं पर 14638.61 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट उड़ा दिया। इसके बाद भी छीजत से 36 हजार करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो गया।

बिजली कंपनियों की लापरवाही को उजागर करने वाली यह जानकारियां विधानसभा सदस्य ओम बिड़ला द्वारा विधानसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में सामने आई हैं। वर्ष 2000 से 2012 के बीच अजमेर, जयपुर और जोधपुर डिस्कॉमों ने क्रमशः 5008.56, 6551.96 और 3078.9 करोड़ रुपए बिजली छीजत कम करने की योजनाओं पर खर्च किए। गौर करने वाली बात यह है कि इस दौरान छीजत के रूप में कुल 36,413.37 करोड़ रुपए की राजस्व हानि भी हुई। *(रा.प., 19.02.13)*

वसूल की गई राशि लौटाने में आनाकानी

बिजली कंपनियों की मनमर्जी के चलते जले मीटर को बदलने के एवज में अतिरिक्त कीमत की मार झेलने वाले करीब दो लाख उपभोक्ता पिछले छह माह से वापस पैसा मिलने के इंतजार में हैं। दरअसल, राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने मीटर जलने पर नया मीटर लगाने के लिए मनमर्जी की अतिरिक्त वसूली को अवैध करार दिया था, साथ ही कंपनियों को निर्देश दिए थे कि ऐसे उपभोक्ताओं को अगले तीन बिलों में यह राशि वापस लौटाई जाए।

इसके बाद कंपनियों ने अवैध वसूली तो बन्द कर दी लेकिन पैसा लौटाने के बजाय पुनर्विचार याचिका दायर कर मामले में अड़ंगा लगा दिया। अब कंपनियां पैसा लौटाने की बात पर उपभोक्ताओं को यह दलील दे रही है कि पुनर्विचार याचिका का फैसला आने पर ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

(रा.प., 13.02.13)

बिजली बचाने की योजनाएं फेल

बिजली बचाने के लिए जयपुर डिस्कॉम ने कई योजनाएं बनाई और सफल रहने के बावजूद कागजों से आगे निकल कर दम तोड़ गई। क्योंकि इन्हें पूरी तरह लागू करने में गंभीरता नहीं बरती गई।

अब लगाया 'बकाया' का करंट

बिजली छीजत रोकने में नाकाम हुई बिजली कंपनियों ने अब उपभोक्ताओं की कमर तोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। पिछले सवा साल में दो बार बिजली की दरें बढ़ा चुकी बिजली कंपनियां अब ईंधन सरचार्ज के नाम पर 16 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त वसूलेगी। दूसरी ओर सालभर तक आंखें मूंदकर अलग-अलग रीडिंग के हिसाब से उपभोक्ताओं को बिल जारी करती रही और अब उन्हें पुरानी रीडिंग बकाया बताकर लम्बे-चौड़े बिल थमाए जा रहे हैं।

खुद की गलती मानने के बजाय अभियंता राजस्व वसूली का लक्ष्य बताकर मदद से हाथ खड़े कर रहे हैं। कईयों को कहा जा रहा है कि खराब व जले हुए मीटरों से रीडिंग डिस्प्लेआउट से ली गई है। ऐसे मीटरों की एचएचटी मशीन से रीडिंग निकाली जा रही है।

(रा.प., 24.01.13, 28.02.13)

सामने आई बिजली कम्पनियों की हकीकत

प्रदेश की तीन बिजली कंपनियों की पोल केन्द्र सरकार की रिपोर्ट में भी खुल गई है। ऊर्जा मंत्रालय की ओर से कराई गई परफॉर्मेंस रेटिंग में सबसे निचले पायदान पर उत्तर प्रदेश और फिर राजस्थान है। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस प्रदर्शन के मामले में गुजरात की बिजली कंपनियां हैं।

बिहार को बिजली प्रबंधन में राजस्थान से बेहतर माना गया है। बिहार को 26 वा स्थान दिया गया है। इसके अलावा 15 अन्य राज्य ऐसे हैं जिनकी बिजली कंपनियां रेटिंग में राजस्थान से ऊपर है। रेटिंग में जयपुर डिस्कॉम 30वें, जोधपुर डिस्कॉम 31वें और अजमेर डिस्कॉम 32वें स्थान पर हैं। *(रा.प., 22.03.13)*

बिजली छीजत, बिजली चोरी ! उपभोक्ता पर है दोनों भारी !!

पेयजल समस्या का होगा जल्द निपटारा

प्रदेश में आम लोगों की पेयजल समस्या का हल तत्काल निकालने के लिए जलदाय विभाग के इंजीनियरों को वीडियो कॉल की ऑनलाइन सेवा से जोड़ा गया है। इसके जरिए प्रमुख सचिव व चीफ इंजीनियर उनसे तत्काल जवाब मांग सकेंगे। इसके बाद इंजीनियरों को एक साथ निर्देश देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेसिंग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

जलदाय विभाग के इंजीनियरों से संवाद बढ़ाने व जिम्मेदारी तय करने के लिए यह कदम उठाया गया है। ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत मार्च के अन्त तक प्रदेश के सभी इंजीनियर वीडियो कॉलिंग सिस्टम सें जुड़ जाएंगे। इस पर करीब 10 लाख रुपए खर्च होंगे। इससे जनता की पेयजल समस्याओं का तत्काल निवारण हो सकेगा। *(दै.भा., 03.03.13)*

पानी के लिए बनेगी नीति

प्रदेश के शहरों में स्वच्छ जल का इस्तेमाल सीमित करने, उसे बचाने और उपलब्धता पर होने वाले खर्च की भरपाई को लेकर पूरे राज्य के लिए एक नीति बनेगी। इस नीति के तहत कानून और नियम बनाए जाएंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास जी.एस. संधु की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया है। नीति का खाका तैयार करने के लिए जेडीए, जलदाय विभाग व नगर नियोजन के अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है।

बैठक में मुख्य मुद्दा बहुमंजिला अपार्टमेन्ट व दूरदराज में विकसित हो रही कॉलोनियों को पेयजल आपूर्ति का था। बैठक में भूजल के लगातार गिरते जा रहे स्तर के मद्देनजर इस पर हो रहे खर्च की भरपाई राज्य सरकार, ऋण देने वाली अन्तर राष्ट्रीय एजेंसी व उपभोक्ताओं से किए जाने की आवश्यकता जताते हुए इस राशि को जलदाय विभाग के अधीन एक कोष में जमा किया जाने पर भी चर्चा की गई। *(रा.प., 07.02.13)*

पानी के 3244 नमूनों में से 691 सुरक्षित

सरकार की अनदेखी के चलते जयपुर शहर के ज्यादातर इलाकों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुरक्षित पानी नहीं पिलाया जा रहा। पीएचईडी की ओर से तीन सालों में लिए गए पानी के नमूनों की रिपोर्ट इसका खुलासा करती है।

हाल ही विधानसभा में विधायक ओम बिड़ला और अशोक पींचा की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में यह जानकारी दी गई है। जवाब में बताया गया कि शहर में वर्तमान में 376 एमएलडी पानी सप्लाई किया जा रहा है। इसके अनुसार केवल 127 लीटर पानी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन दिया जा रहा है। यह निर्धारित मानकों के अनुसार 23 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन कम है। *(दै.भा., 04.03.13)*

यूरोपियन कमीशन ने जताई नाराजगी

पानी को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए प्रदेश में चलाए जाने वाले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम में विभिन्न कार्यक्रम संचालित करने के लिए पैसा खर्च करने की गति धीमी होने पर यूरोपीय यूनियन ने नाराजगी जताई है। जनवरी 2007 से चलाए जा रहे इस कार्यक्रम के लिए 450 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया गया था। इसमें से राज्य सरकार अब तक 142 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई है।

यूरोपियन यूनियन ने अब आगे के लिए टाइम बाउंड कार्यक्रम तय करके कार्यक्रम चलाने की सख्त सलाह दी है। प्रोग्राम स्टेयरिंग कमेटी की बैठक में कार्यक्रम के क्रियान्वयन और कार्यकलापों की समीक्षा की गई। ज्वाइंट रिव्यू मिशन की इस बैठक में यूरोपियन यूनियन की ओर से प्रोग्राम हेड हेंस और शोवित दत्ता मौजूद थे। *(दै.भा., 16.02.13)*

आठवें पायदान पर फिसला राजस्थान

केन्द्र सरकार के पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय की ओर से वित्तीय वर्ष 2012-13 की तीसरी तिमाही की रैकिंग में प्रदेश आठवें स्थान पर फिसल गया है। पिछले साल इसी दौरान प्रदेश पहले स्थान पर था। चालू वित्तीय वर्ष की शुरुआत में तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना की कई कसौटियों पर जलदाय विभाग खरा नहीं उतरा है।

इस अवधि में लक्षित 1500 गांव-ढ़ाणियों में से 621 में ही शुद्ध पेयजल आपूर्ति, फील्ड टेस्टिंग किट के लिए 3355 में से 2342 लोगों को ही प्रशिक्षण और प्रयोगशाला में लक्षित 96 हजार नमूनों में से 25167 की ही जांच हो सकी। 224 उप खंडों में से एक में भी प्रयोगशाला स्थापित नहीं हुई। *(रा.प., 26.02.13)*

सरकार जमा कराएगी ट्यूबवैल के बिल

प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में स्थित अनुसूचित जाति, जन जाति की बस्तियों में पेयजल योजना के ट्यूबवैलों का बकाया बिजली बिल अब सरकार जमा कराएगी। ये ट्यूबवैल भले ही किसी भी योजना में बने हों। हाल ही बजट में घोषित किए गए 20,000 हैंडपंप और फ्लोराइड की समस्या वाले इलाकों में आर ओ प्लांट अब विधायकों की अभिशंषा पर लगाए जाएंगे।

आर ओ प्लांट से स्थानीय निवासियों को 10 पैसे प्रति लीटर की दर से पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि विभाग में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए जल्दी ही नए आफिस खोल कर इंजीनियरों और कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। *(दै.भा., 16.03.13)*

आज भी ग्रामीण लाते हैं दूर से पानी

देश की ग्रामीण आबादी में 22 फीसदी परिवार आज भी ऐसे हैं जिन्हें अपने पीने का पानी जुटाने के लिए आधा किलोमीटर या इससे भी ज्यादा दूरी तय करनी होती है। इतना ही नहीं 15 फीसदी लोग तो आज भी पीने के पानी के लिए तालाबों और झरनों पर आश्रित हैं।

यह बात भारत सरकार के स्वच्छता एवं पेयजल राज्यमंत्री भरतसिंह सोलंकी ने कही है। हालांकि उनका कहना है कि 12वीं योजना अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति पेयजल आपूर्ति 40 लीटर से बढ़ाकर 55 लीटर करने का प्रस्ताव है। सोलंकी के अनुसार केवल 30.80 प्रतिशत ग्रामीण आबादी के लिए ही नलों का पानी उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी के संसाधन भूमिगत जल पर आधारित है। कई क्षेत्रों में आरसेनिक, फ्लोराइड आदि रसायनों के कारण प्रदूषित पानी मिलता है। इसलिए यह जरूरी हो गया है कि ऐसे क्षेत्रों में साफ पानी की योजना पर ध्यान दिया जाए। *(न.दु., 21.02.13)*

हमारे सिर शर्म से झुके - सोनिया

महिलाओं के खिलाफ अपराध के बढ़ते मामलों पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चिन्ता जताते हुए कहा, महिलाओं से दुष्कर्म और अन्य तरह की हिंसा होने से 'हमारे सिर शर्म से झुक गए हैं।'

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं देशभर में हो रही हैं। कन्या भ्रूण हत्या और ऐसे अपराधों से निपटने के लिए जल्द ही एक विधेयक पारित किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

महिलाएं मुश्किलों के सामने झुके नहीं और उनका साहस के साथ सामना करें, क्योंकि देश को सभी जिम्मेदार पदों पर उनकी जरूरत है। उन्होंने देशभर में महिलाओं के लिए महिला बैंक खोलने और निर्भया कोष के लिए सरकारी बजट से एक-एक हजार करोड़ रुपए के आंवटन की घोषणा के बारे में बताया। *(रा.प., 09.03.13)*

महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता

केन्द्रीय बजट में 97 हजार 134 करोड़ रुपए का प्रावधान जेंडर बजट के रूप में किया गया है। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए का 'निर्भया फंड' बनाने, अलग से महिला बैंक खोलने, स्वयं सहायता समूहों को ज्यादा ऋण देकर उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने जैसे कई वादे भी किए गए हैं।

प्रदेश के बजट में मुख्यमंत्री ने राजस्थान सहकारी व वित्त विकास निगम की स्थापना करने की घोषणा की है। निगम का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों की साख सम्बन्धी जरूरतों की पूर्ति करना होगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए टोल फ्री हैल्प लाइन शुरू की जाएगी। प्रसूति सुविधाओं में सुधार किया जाएगा तथा लिंगानुपात की समस्या से निपटने के लिए शुभलक्ष्मी योजना लागू की जाएगी। जिसमें बालिका के जन्म पर एक हजार रुपए, एक वर्ष की होने पर एक हजार रुपए तथा पांच साल की होने पर दो हजार रुपए दिए जाएंगे। बालकों की सुरक्षा के लिए बाल निदेशालय की स्थापना की जाएगी। *(रा.प. एवं दै.भा., 01.03.13 एवं 07.03.13)*

बालिका नीति को मिली मंजूरी

राज्य मंत्रिमंडल ने 'राजस्थान राज्य बालिका नीति-2013' को मंजूरी दे दी है। बालिका नीति में बालिकाओं को उनकी गरिमा और समाज में उनके महत्व के मद्देनजर उनके स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवारिक समर्थन, बालिकाओं को हर प्रकार की हिंसा, शोषण और तिरस्कार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देशों को शामिल किया गया है। बालिकाओं के घटते लिंगानुपात को रोकने की दिशा में भी यह नीति कारगर साबित होगी।

राज्य बालिका नीति के अनुसार संबंधित विभाग अपने-अपने क्षेत्र के लिए कार्य योजना बनाकर उनके क्रियान्वयन, लोगों को जागरूक करने व मूल्यांकन की उचित व्यवस्था करेंगे। नीति के सही क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन होगा। *(रा.प. एवं न.ज्यो., 12.01.13)*

महिला सुरक्षा के लिए बना कड़ा कानून

संसद ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में कड़ी सजा के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसमें महिलाओं के खिलाफ तेजाब के हमले और उनका पीछा करने जैसे कृत्यों के लिए भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। विधेयक में दुष्कर्म व सामूहिक दुष्कर्म के लिए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है और दोबारा ऐसा अपराध करने वाले को अधिकतम सजा के रूप में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है।

उच्च सदन ने दंड विधि (संशोधन) विधेयक 2013 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि यह कड़क कानून है और शायद कई सालों में ऐसा कानून नहीं आया होगा। कानून में पुलिस को जवाबदेह बनाने के मकसद से उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का प्रावधान है। *(लो.द., 22.03.13)*

महिला उत्पीड़न मामलों के लिए नई कोर्ट

दुष्कर्म सहित महिला उत्पीड़न मामलों की सुनवाई के लिए राज्य में संभाग मुख्यालयों पर पांच नई फास्ट ट्रेक कोर्ट खोली गई हैं। इससे अब ऐसे मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी। जयपुर और कोटा संभाग मुख्यालय पर ऐसी कोर्ट पहले से ही काम कर रही है।

राज्य सरकार ने पांच संभाग मुख्यालयों उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर में महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष कोर्ट खोलने के लिए अधिसूचना जारी की है। राज्य सरकार ने दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म मामले के बाद महिला उत्पीड़न मामलों की पांच नई कोर्ट की घोषणा की थी। *(रा.प. एवं दै.भा, 17.02.13)*

बेटियों के लिए बनेंगे मंच

राज्य में 10 से 14 साल और 15 से 18 साल की बेटियों के लिए अब प्रत्येक स्कूल और समुदाय स्तर पर चर्चा के लिए अनिवार्य रूप से विचार मंच बनाए जाएंगे। ये मंच पंचायतीराज संस्थाओं और नगरपालिकाओं की ओर से संचालित होंगे। बेटियों के जन्म लेते ही उनके पोषण, देखभाल और विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाएगा। *(दै.भा., 25.01.13)*

राजस्थान महिला (अत्याचार निवारण) आध्यादेश-2013

राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान महिला (अत्याचार निवारण) आध्यादेश-2013 को अनुमोदित कर दिया है। इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर प्रदेश में आध्यादेश को लागू करेगी।

आध्यादेश में शामिल अपराधों के लिए उनकी गंभीरता के आधार पर 2 हजार रुपए से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है। इसमें अपराधी को कारावास और जुर्माना दोनों सजाएं एक साथ देने का प्रावधान है। जुर्माने की रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देनी होगी। इसके लिए हर जिले में विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। अध्यादेश में पीड़िता को प्रतिकर, अंतरिम राहत और पुनर्स्थापन का भी प्रावधान है, जिसके लिए एक कोष बनाया जाना प्रस्तावित है। *(रा.प., 11.01.13)*

आध्यादेश में ये शामिल

महिला को अखाद्य पदार्थों का सेवन कराना, जमीन-पानी के अधिकार से वंचित करना, कोमार्य परीक्षण के लिए विवश करना, चरित्र पर सवाल उठाना, अश्लील चित्र या साहित्य दिखाना, छेड़छाड़ करना, उस पर तेजाब या ज्वलनशील पदार्थ फेंकना, डायन या डाकन बताना, आदि दंडनीय अपराध के रूप में परिभाषित किए गए हैं।

सड़क सुरक्षा

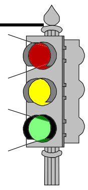

सड़क सुरक्षा के लिए बदलेगा कानून!

राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के तहत सड़क पर चलने का पहला अधिकार पैदल चलने वाले का है और इसी आधार पर अब शहर की रोड इंजीनियरिंग, यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा में बदलाव होगा। इसके लिए कानून में संशोधन का भी प्रस्ताव है।

सड़क सुरक्षा

अब पैदल भी सुरक्षित नहीं - प्रदीप महता

पिछले दिनों वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव वी.एस.सिंह पैदल सड़क पार करते हुए हादसे का शिकार हुए। उनके निधन पर गहरा शोक जताते हुए कट्स के महामंत्री और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् के सदस्य प्रदीप एस.महता ने कहा है कि राज्य सरकार अभी भी आम जन को सुरक्षित सड़कें उपलब्ध कराने में विफल रही है। जबकि सरकार सुरक्षित सड़कें बनवाने व उनका विकास करने के नाम पर हर साल तीन हजार करोड़ रुपए खर्च करने का दावा करती है।

यह है हालात

राजस्थान देश में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं वाले राज्यों की प्रथम पांच की सूची में है। यह तो तब हो रहा है, जब केन्द्रीय स[illegible] परिवहन व राजमार्ग मंत्री हमा[illegible]

पिछले अंक में 'कट्स' ने भी उठाया था यह मुद्दा

मुख्य सचिव सी.के. मैथ्यू की अध्यक्षता में हुई जयपुर-डे की बैठक में इस पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने जेडीए आयुक्त कुलदीप रांका की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है, जो शहरवासियों को सुगम राह मुहैया कराने, सड़क दुर्घटनाएं रोकने, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगाम कसने और बेहतर यातायात प्रबंधन पर अपनी रिपोर्ट देगा। कमेटी की रिपोर्ट में समयबद्ध कार्यक्रम होगा ताकि उसे तत्काल अमलीजामा पहनाया जा सके। सड़कों का डिजाइन पैदल चलने वालों की सहूलियत के आधार पर तय होगा, जिससे दुर्घटनाओं में कमी हो सके। इसके लिए मुख्य सड़कों पर फुटपाथ चौड़े होंगे। सड़कों के डिवाइडर पर रेलिंग लगेगी। रेलिंग के बीच में सड़क पार करने वालों के लिए जगह छोड़ी जाएगी तथा हर मार्ग पर साइनेज लगाए जाएंगे।

ड्राईविंग लाइसेंस बनाने में सख्ती होगी। इसके लिए संभागीय स्तर पर आधुनिक क्षेत्रीय ड्राइविंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। स्कूल कॉलेजों में सड़क सुरक्षा क्लबों का गठन किया जाएगा। दुर्घटनाग्रस्त को तुरंत चिकित्सा लाभ देने के लिए विभिन्न स्थानों पर फर्स्ट एड पोस्ट की व्यवस्था की जाएगी। बैठक में जेडीए, यातायात पुलिस, परिवहन विभाग व एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने प्रजेंटेशन दिया। बैठक में सम्बन्धित विभिन्न विभागों के अधिकारियों व स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपने सुझाव प्रस्तुत किए। *(रा.प., 16.02.13)*

जन स्वास्थ्य

श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

राज्य सरकार द्वारा पिछले साल राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को सभी सात सम्भागीय मुख्यालय जिलों में वर्ष में 15 दिन कार्य करने वाले नरेगा श्रमिकों, बीड़ी श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, स्ट्रीट वेण्डर्स के लिए लागू किया गया था। सम्भागीय जिलों में 7 लाख 32 हजार से भी ज्यादा लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बीमा कम्पनी द्वारा बनाए गए और सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र के करीब 140 अस्पतालों के माध्यम से श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई।

इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी के 5 व्यक्ति तक के परिवार को एक वर्ष में अस्पताल में भर्ती होने पर 30 हजार रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्राप्त किया जाता है। श्रम राज्य मंत्री मांगीलाल गरासिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि योजना को राज्य के शेष 26 जिलों में लगभग 27 लाख परिवारों के लिए लागू करने हेतु बीमा कम्पनियों से करार किया गया है। इसी प्रकार असंगठित क्षेत्र के परिवारों के लिए लागू की जा रही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से भी लगभग 40 लाख परिवार लाभान्वित होंगे।

(न.नु. एवं दै.भा., 10.01.13)

निवेशक शिक्षा

निवेश सलाहकारों को कराना होगा पंजीयन

पूंजी बाजार नियामक सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) ने निवेश सलाहकारों के मानकों को और कड़ा कर दिया है। इन सभी निवेश सलाहकारों को बाध्यकारी रूप से सेबी के पास पंजीकरण कराना होगा। इस मामले में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सेबी ने बैंकों, एनबीएफसी व कॉर्पोरेट्स से कहा है कि वे निवेश सलाहकारी सेवाओं को अपनी अन्य गतिविधियों से अलग करें। साथ ही, निवेश सलाहकारों को हर प्रोडक्ट पर वसूल की जाने वाली फीस को स्पष्ट करें।

सेबी के ये मानक तीन माह में लागू हो जाएंगे। निवेश सलाहकार बनने के लिए किसी कॉर्पोरेट संगठन की न्यूनतम वैल्यू 25 लाख रुपए की होनी चाहिए। व्यक्तिगत निवेश सलाहकार के मामले में यह वैल्यू एक लाख रुपए रखी गई है। *(दै.भा., 24.01.12)*

वित्तीय सेवाएं

पल भर में मिलेगा आयकर रिफंड

वेतनभोगियों व उद्यमियों के लिए राहत भरी खबर है कि उन्हें अब टीडीएस और टीसीएस का रिफंड पल भर में मिलने लगेगा। उन्हें ऑनलाइन रिटर्न भरने में तकनीकी दिक्कत नहीं होगी। अभी तक उन्हें रिफंड के लिए छह महीने से लेकर सालभर तक का इंतजार करना पड़ता था। आयकर विभाग ने टीडीएस और टीसीएस के करदाताओं के लिए नया सर्वर शुरू कर दिया है। विभाग में इससे पहले सभी तरह के करों के लिए एक ही सर्वर था।

आयकर विभाग की वेबसाइट www.tdscpc.gov.in खोलने पर इसमें रिटर्न फाइलिंग के साथ ही रिफंड का दावा पेश किया जा सकता है। अगर करदाता रिटर्न फाइल कर चुका है, लेकिन किसी गलती के कारण रिफंड नहीं बन रहा है तो वह साइट पर ही रिटर्न में कांट-छांट कर सकेगा। बैंक रिटर्न में बदलाव के साथ ही उसे रिफंड जारी कर देगा।

(रा.प., 26.02.13)

प्रदेश में मिनी एटीएम की शुरुआत

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम मशीन लगाने में आ रही समस्या और इस पर होने वाले भारी-भरकम खर्च से बचने के लिए बैंक मिनी एटीएम को विकल्प के रूप में अपनाने लगे हैं। एसबीबीजे देश में इसकी पहली शुरुआत राज्य के अजमेर, अलवर और उदयपुर से कर रहा है। इन जिलों में एटीएम मशीन से वंचित शाखाओं में 42 मिनी एटीएम लगेंगे। बैंक की पहले चरण में 500 मिनी एटीएम लगाने की योजना है। मिनी एटीएम बैंक में ही कैशियर की केबिन के पास लगेगा।

मिनी एटीएम मशीन में खाताधारक को स्वेप मशीन की तर्ज पर एटीएम कार्ड को स्वीप करना होगा। इसके बाद ग्राहक पिन नंबर दर्ज कर राशि जमा करा सकेगा या निकाल सकेगा। इस सेवा कर उद्धेश्य पेपरलेस बैंकिंग को बढ़ावा देना और न्यूनतम समय में ग्राहकों को सेवा उपलब्ध कराना है। लेन-देन के बाद मशीन रिकार्ड के लिए ग्राहक को रसीद भी देगी। *(रा.प., 07.01.13)*

उपभोक्ता फैसले

समय पर सिलेंडर नही देने पर एजेंसी संचालक को जेल

सीकर जिले के फतेहपुर बांठोद निवासी बजरंगलाल पारीक ने उपभोक्ता मंच सीकर में लक्ष्मणगढ़ गैस सर्विस एजेंसी के संचालक के खिलाफ समय पर सिलेंडर नहीं देने का मामला पेश किया था। इस पर उपभोक्ता मंच ने फैसला करते हुए एजेंसी संचालक पर चार हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। साथ ही निर्देश भी दिए थे कि उपभोक्ता को समय पर सिलेंडर दे और उसके घर तक पहुंचाए। एजेंसी संचालक ने इस फैसले के खिलाफ राज्य आयोग में अपील दर्ज कराई। आयोग ने मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच के फैसले को सही बताते हुए एजेंसी संचालक की अपील को खारिज कर दिया था।

इसके बाद भी एजेंसी संचालक ने फैसले की पालना नहीं की। इस पर उपभोक्ता बजरंगलाल पारीक द्वारा एजेंसी संचालक के खिलाफ पुनः उपभोक्ता मंच सीकर में अवमानना याचिका पेश की गई। इस पर मंच ने समय पर सिलेंडर नहीं देने और मंच के आदेश की अवहेलना पर एजेंसी संचालक राजेन्द्र वर्मा को तीन माह की कैद और पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का फैसला दिया। *(दै.भा., 07.02.13)*

शिक्षा बोर्ड को भारी पड़ा पास को पूरक घोषित करना

पीपाड़ सिटी निवासी छात्र महावीर बोहरा ने जिला उपभोक्ता मंच में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के खिलाफ परिवाद दायर किया। उसने मंच को बताया कि वह नियमित छात्र के रूप में वर्ष 2012 में 12वीं की परीक्षा दी थी। बोर्ड ने उसे अर्थशास्त्र में 5 अंक देकर पूरक परीक्षा के योग्य बताते हुए परिणाम घोषित कर दिया। उसने अपनी उत्तर पुस्तिका की दुबारा जांच कराई। क्योंकि उसके अन्य विषयों में प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए थे और इस विषय में इतने कम अंक आने की उसने सपने में भी नहीं सोची थी। उसे आश्चर्य तो तब हुआ जब बोर्ड ने दुबारा जांच करके बताया कि परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं है। इस पर उसने सूचना के अधिकार के तहत बोर्ड से उत्तर पुस्तिका की फोटो प्रति प्राप्त की तो उसे पता चला कि अर्थशास्त्र में उसे 5 की जगह 50 अंक मिले हैं।

मामले की सुनवाई पर बोर्ड की ओर से यह दलील दी गई कि वह मात्र परीक्षाएं आयोजित कराता है इस लिए सेवा प्रदाता की श्रेणी में नहीं आता। मंच नें बोर्ड के इस कथन को गैर जिम्मेदाराना कृत्य माना। मंच ने तल्ख टिप्पणी करते हुए इसे छात्र के भविष्य से खिलवाड़ करने का दोषी करार दिया। मंच ने बोर्ड को आदेश दिया कि वह छात्र महावीर बोहरा को पूरक परीक्षा शुल्क सहित 25 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में व 2 हजार रुपए मुकदमा खर्च अदा करे। *(रा.प., 28.02.13)*

खास समाचार

उपभोक्ता मामलों का बने अलग विभाग

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर बजट पूर्व एनजीओ विचार विमर्श गोष्ठी में कट्स ने राजस्थान में उपभोक्ता मामलों हेतु अलग से विभाग बनाए जाने की आवश्यकता बताई, जिससे उपभोक्ता हितों की बेहतर देखभाल की जा सके। इसके लिए बजट में पर्याप्त धनराशि भी आंवटित की जानी चाहिए।

कट्स के निदेशक जार्ज चेरियन ने बताया कि प्रदेश में आम लोगों को उपभोक्ता कानून की जानकारी कम है, इसको बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। वर्तमान में प्रदेश में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधीन आता है, जो कि खुद एक बड़ा विभाग है। जिसके चलते उपभोक्ताओं की आवाज दब जाती है। माप व तौल उद्योग विभाग और मिलावट के मामले स्वास्थ्य विभाग के अधीन आते हैं और प्रायः देखा गया है कि इन सभी विभागों में तालमेल की कमी रहती है। स्टेट ऑफ इंडियन कन्ज्यूमर्स 2012 की रिपोर्ट में उपभोक्ताओं की जागरूकता के हिसाब से राजस्थान का 22 राज्यों में 18वां स्थान है।

मिलावट के खिलाफ कानून तो है...

राज्य में फूड सेफ्टी कानून 5 अगस्त, 2011 को लागू हो चुका है। इसके बाद से दिसम्बर, 2012 तक लिए गए 10 हजार 144 जांच नमूनों में से एक हजार 800 से भी ज्यादा नमूने मिलावटी या अमानक पाए गए। इनमें से अकेले जयपुर जिले में करीब 200 नमूने मिलावटी पाए गए हैं। जिले में यह मिलावट करीब 1000 नमूनों की जांच में पाई गई है।

मिलावटखोरी रोकने के लिए बाजारों में अक्सर छापे मारे जाते हैं। सामान के नमूनें लेकर उन्हें प्रयोगशाला में भेजे जाते हैं। लेकिन आम जन तक यह सूचना नहीं होती कि अमुक वस्तु में किस चीज की मिलावट है और कितनी पाई गई है। बेचने वाला कौन था और उसको क्या सजा दी गई, इसके जवाब नहीं मिलते। *(रा.प., 30.01.13)*

हर तीसरी शिकायत घरेलू गैस की

तेल कंपनियां भले ही नए घरेलू गैस कनेक्शन और समय पर सिलेण्डर आपूर्ति के लाख दावे करती हो, लेकिन सच्चाई उल्टी है। प्रदेश में उपभोक्ताओं से जुड़ी हर तीसरी शिकायत एलपीजी की है। सबसे ज्यादा मामले समय पर गैस सिलेण्डर न पहुंचाने के हैं। जिसमें लाख प्रयास के बावजूद उपभोक्ताओं को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है।

राज्य सरकार की स्टेट कन्ज्यूमर हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों से यह बात सामने आई है। दो साल पहले शुरू हुई हेल्पलाइन में अब तक 8176 लोगों ने शिकायतें की हैं। इनमें 2695 शिकायतें एलपीजी उपभोक्ताओं की हैं। इसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दिक्कतों को लेकर लोगों ने हेल्पलाइन पर अपनी पीड़ा बताई। टेलीफोन, बिजली और घरेलू उत्पादों को लेकर भी शिकायतें दर्ज हुई। *(रा.प., 15.03.13)*

मॉडल शॉप में सामान होगा 20 फीसदी सस्ता

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर जयपुर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए खाद्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने सभी पंचायत मुख्यालयों पर मॉडल शॉप खोलने की योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इन दुकानों पर बाजार के मुकाबले 20 फीसदी तक सस्ता सामान मिलेगा।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उपभोक्ता को कानून की जानकारी है, तो उसे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती। *(रा.प., 16.03.13)*

स्त्रोतः रा. प.ः राजस्थान पत्रिका, दै. भा.ः दैनिक भास्कर, न. नु.ः नफा नुकसान, दै. न.ः दैनिक नवज्योति, पं.के. पंजाब केसरी, लो.द.ः लोकदशा

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.513 3259 फैक्सः 228 2485, टेलीफैक्सः 401 5395, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org के लिए जयपुर प्रिंटर्स प्रा. लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।